ए.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम.

ओम प्रकाश

(सिविल अपील सं. 2012 की 5428) फरवरी 04,2022

बी.

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972-समयपूर्व सेवानिवृत्ति-प्रतिकूल टिप्पणी-विचार-प्रत्यर्थी के खिलाफ पारित समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश, जिसे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि उसे वर्ष 2000 में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार, 2000 से पहले लगाए गए दंड को सेवा में बनाए रखने की उपयुक्तता निर्धारित करते समय नजरअंदाज किया जाना चाहिए-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय ने बैकुंथा नाथ दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को न केवल गलत पढ़ा है

सी.

डी.

चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य ने [1992] 1 एससीआर 836 के रूप में रिपोर्ट किया

लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया-प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा जा सकता है-इसके अलावा, उच्च न्यायालय के आदेश में एक तथ्यात्मक त्रुटि है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और यह कि वर्ष 1990 से 2009 तक के एसीआर या तो अच्छे थे या बहुत अच्छे थे-हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा पुनः प्रस्तुत एसीआर का सारांश स्वयं औसत, संतोषजनक और वास्तव में औसत से कम रिपोर्ट भी दिखाता है-समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें पदोन्नति से पहले की अवधि के एसीआर शामिल होंगे, हालांकि हाल की रिपोर्टों का अपना वजन होगा-वर्तमान मामले में, पिछले 5 वर्षों में, प्रत्यर्थी को औसत श्रेणी में रखा गया है-इसके अलावा, उन्हें इससे पहले कई दंड दिए गए थे।

ई.

एफ.

जी.

न्यायिक समीक्षा-अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दायरा-उच्च न्यायालय ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए बैकुंथा नाथ ए मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित किया

एच.

203

204

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य

[1992] 1 एस. सी. आर. 836 के रूप में सूचित-आयोजितःउच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को गलत तरीके से पढ़ा जिसमें कहा गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है-इसका कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है-अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सार्वजनिक हित में है और सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है और न्यायालय द्वारा केवल इस कारण से रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया था।वैकुंठ नाथ दास और एक अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य (1992) 2 एस. सी. सी. 299:[1992] 1 एस. सी. आर. 836; भारत संघ बनाम एम. ई. रेड्डी

बी.

सी.

और दूसरा (1980) 2 एस. सी. सी. 15:[1980] 1 एससीआर 736;

डाक और टेलीग्राफ बोर्ड और अन्य बनाम सीएसएन।

मूर्ति (1992) 2 एससीसी 317:[1992] 2 एससीआर 338; संघ

भारत और अन्य बनाम दुलाल दत्त **(1993) 2** एस**.** सी**.** सी**. 17:[1993] 1** एस**.** सी**.** आर**. 853;** सरकार के सचिव और एक अन्य बनाम नित्यानंद पति **(1994)** एस**.** सी**.** सी**. (**एल एंड एस**) 1052;** भारत संघ बनाम वी**.** पी**.** सेठ और एक अन्य **(1993)** पूरक **2** एस**.** सी**.** सी**. 391;** पंजाब राज्य बनाम गुरदास सिंह **(1998) 4** एस**.** सी**.** सी**. 92;** उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य बनाम राज किशोर गोयल **(2001) 10** एस**.** सी**.**

सी**. 183;** राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम बाबू लाल जांगीर **(2013) 10**

डी.

ई.

एससीसी 551:[2013] 11 एससीआर 159; बृज मोहन सिंह बनाम चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य (1987) 2 एससीसी 188:[1987]

2 एस**.** सी**.** आर**. 583;** प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य

और अन्य (2010) 10 एस. सी. सी. 693; राम मूर्ति यादव बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा **(2020) 1** एस**.** सी**.** सी**. 801**

:[2019] 14 एस**.** सी**.** आर**. 818-**निर्भर।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[1992] 1 एससीआर **836**

उस पर भरोसा करें

पैरा **3**

[1980] 1 एससीआर **736**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

जी.

[1992] 2 एससीआर **338**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6**

[1993] 1 एससीआर **853**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

(1994) एस**.** सी**.** सी**. (**एल**.** एंड**.** एस**.) 1052** पर निर्भर था

पैरा **8**

(1993) पूरक **2** एस**.** सी**.** सी**. 391** पर निर्भर था

पैरा **9** ए

एच.

205

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम ओम प्रकाश ए

(1998) 4 एस**.** सी**.** सी **92**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10**

(2001) 10 एससीसी **183**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

[2013] 11 एससीआर **159**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[1987] 2 एससीआर **583**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

बी.

(2010) 10 एस**.** सी**.** सी**. 693**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[2019] 14 एससीआर **818**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2012 की सिविल अपील सं. 5428।

सी.

2011 के डब्ल्यू. पी. No.7471 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.10.2011 निर्णय और आदेश से।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, अक्षय अमृतांशु, राजेश के. सिंह, मोहम्मद।अखिल, संदीप कुमार महापात्रा, आयुष पुरी, ए. के. शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

अनिल मित्तल, विभूति सुशांत गुप्ता, राम नरेश यादव, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

ई.

1. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के एक आदेश से उत्पन्न होती है जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ पारित समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।

2. प्रत्यर्थी हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश 1 को 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 2 के नियम 48 (1) (बी) के साथ पठित मौलिक नियमों के नियम 56 (जे) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था।आदेश इस आशय का है कि नियमों के नियम 48 (1) (बी) के तहत सेवानिवृत्ति समीक्षा समिति ने रिट याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से 30 साल की योग्यता सेवा से आगे सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं पाया।

एफ.

जी.

3. इस तरह के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि रिट याचिकाकर्ता को 14.06.2000 पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार

1 इसके बाद 'रिट याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित किया जाता है 2 संक्षेप में 'नियम'

एच.

वर्ष 2000 से पहले लगाए गए दंड को रिट याचिकाकर्ता की सेवा में बनाए रखने की उपयुक्तता निर्धारित करते समय नजरअंदाज किया जाना चाहिए।ड्यूटी पर सोने और दो दिन से अधिक समय तक रहने के दो दंड क्रमशः वर्ष 2005 और 2008 में लगाए गए थे जो मामूली दंड थे।पिछले पाँच वर्षों में रिट याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 3 की श्रेणीकरण पर अधिक ध्यान देने के साथ विचार किया जाना चाहिए, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि पहले के एसीआर को भी ध्यान में रखा जाना था।1990 से 2009 तक एसीआर या तो अच्छे थे या बहुत अच्छे।वर्ष 2010 के लिए ए. सी. आर. को औसत श्रेणीबद्ध किया गया था लेकिन इसे रिट याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया था।इसलिए, इस तरह के ए. सी. आर. को इस राय पर पहुंचने पर ध्यान में नहीं रखा जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता एक मृत लकड़ी है।उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को बैकुंथ नाथ दास के रूप में संदर्भित किया और

बी.

सी.

एक अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और अन्य 4

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड नहीं है। इसका मतलब कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है।अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जनहित में है और सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है और न्यायालय द्वारा केवल इस कारण से रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया था।

डी.

4. इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के फैसले को मंजूरी दी

भारत संघ बनाम एम. ई. रेड्डी और अन्य 5 जिसमें यह आयोजित किया गया था

ई.

निम्नानुसारः“12. एक ओर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सरकारी कर्मचारी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है जिसे पूर्ण पेंशन और अन्य लाभों का आनंद लेते हुए एक आरामदायक जीवन जीने के लिए बनाया जाता है और दूसरी ओर सेवाओं को एक नया एनीमेशन और समानता देता है।कर्मचारियों को इस नियम के पीछे की सच्ची भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्हें दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि देश के व्यापक हित में की गई सेवा की एक उपयोगी घटना के बराबर है।भले ही कर्मचारी को लगता है कि उसने पीड़ा झेली है, उसे इस तथ्य से पर्याप्त सांत्वना और सांत्वना मिलनी चाहिए कि यह

उसके देश के लिए उसका छोटा सा योगदान है, क्योंकि हर अच्छे कारण के लिए वह शहीद हो जाता है।"5. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है।

एफ.

जी.

3 एसीआर

4 (1992) 2 एससीसी 299 5 (1980) 2 एससीसी 15 ए

एच.

207

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम ओम प्रकाश [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

रिट याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति से पहले वर्ष 1993 में ड्यूटी के दौरान एक ट्रांसपोर्टर से अवैध संतुष्टि प्राप्त करने सहित कई दंड दिए गए हैं।ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और छुट्टी से अधिक समय तक रहने के भी आरोप हैं।पदोन्नति के बाद, ड्यूटी पर सोने के आरोप में चार दिन का जुर्माना लगाया गया और समय से अधिक समय तक रहने के लिए दो दिन का जुर्माना लगाया गया।उक्त दंडों के अलावा, रिट याचिकाकर्ता के पास एसीआर का एक मिश्रित बैग है जैसे कि औसत, औसत से कम, संतोषजनक अच्छा और बहुत अच्छा।पिछले 5 वर्षों में, उन्हें 01.01.2010 से 31.12.2010 की अवधि के लिए औसत श्रेणी में रखा गया है।

बी.

6. बैकुंथा नाथ दास मामले में फैसले के बाद, तीन न्यायाधीश

सी.

पीठ ने एक फैसले में डाक और टेलीग्राफ बोर्ड के रूप में रिपोर्ट किया और

अन्य बनाम सी. एस. एन. मूर्ति 6 ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे यदि वे प्रामाणिक रूप से और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आते हैं।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

"5. ....कर्मचारी का आचरण इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए है या नहीं, यह मुख्य रूप से विभागीय अधिकारियों को तय करना है।अपराध की प्रकृति और क्या यह ऐसी डिग्री का है जिसके लिए कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आवश्यकता होती है, यह मुख्य रूप से सरकार को तय करना है।न्यायालय इस शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,

यदि वे प्रामाणिक रूप से और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आते हैं।वर्तमान मामले में किसी दुर्भावना का आग्रह नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय का एकमात्र सुझाव यह है कि अभिलेख ऐसी किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं करता है जो प्रत्यर्थी के खिलाफ की गई कार्रवाई को उचित ठहराए।हम सहमत नहीं हो सकते।हमारी राय में, ऐसी सामग्री थी जो दर्शाती थी कि याचिकाकर्ता की दक्षता समीक्षाधीन अवधि के अंतिम दो वर्षों में धीमी हो रही थी और इसलिए, हमारे लिए विभाग के निष्कर्ष को दुर्भावनापूर्ण, विकृत, मनमाना या अनुचित होने के रूप में दोष देना संभव नहीं है।"

ई.

एफ.

7. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ और अन्य बनाम दुलाल दत्त 7 के रूप में भारतीय रेलवे में स्टोर नियंत्रक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की जांच की।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड का आदेश नहीं है।यह एक विशेषाधिकार है

जी.

6 (1992) 2 एस. सी. सी. 317 7 (1993) 2 एस. सी. सी. 17

एच.

सरकार का लेकिन यह सामग्री पर आधारित होना चाहिए और सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाना चाहिए और यह कि यह एक बोलने वाला आदेश होना आवश्यक नहीं है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"18. यह ध्यान दिया जाएगा कि न्यायाधिकरण ने मामले की परिस्थितियों में यह मानते हुए पूरी तरह से गलती की कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए था।यह न्यायालय आर. एल. बुटेल बनाम भारत संघ [(1970) 2 एस. सी. सी. 876] और भारत संघ बनाम जे. एन. सिन्हा [(1970) 2 एस. सी. सी. 458] के मामले से बार-बार इस बात पर जोर देता रहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड का आदेश नहीं है।यह वास्तव में सरकार का विशेषाधिकार है लेकिन यह सामग्री पर आधारित होना चाहिए और इसे सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाना चाहिए।बहुत बार, न्यायालय द्वारा जाँच करने पर सरकार सामग्री का खुलासा कर सकती है लेकिन यह इस

कहावत से बहुत अलग है कि आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए।अनिवार्य सेवानिवृत्ति के किसी भी आदेश को बोलने का आदेश होने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधिकरण के आदेश से ही यह स्पष्ट है कि सरकार के पास, उसके समक्ष, समीक्षा समिति की रिपोर्ट थी, फिर भी उसने प्रत्यर्थी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना उचित समझा। इस आदेश को कानूनी रूप से दुर्भावनापूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता है।"

बी.

सी.

डी.

8. सरकार के सचिव और एक अन्य बनाम नित्यानंद पति 8 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, उच्च न्यायालय के आदेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इस कारण से दरकिनार कर दिया गया कि कुछ असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया था, इस न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था।

ई.

9. भारत संघ बनाम वी. पी. सेठ और अन्य 9 में,

बैकुंथ नाथ दास और अन्य निर्णयों को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः"3. इन सिद्धांतों को बाद के निर्णय में अनुमोदन के साथ दोहराया गया था।इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल दुर्भावनापूर्ण, मनमानेपन या विकृति के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है और ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंडात्मक प्रकृति का नहीं है।इस न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा इस प्रकार कानून की स्थिति का निपटारा किए जाने के बाद, हमें डर है कि न्यायाधिकरण के आदेश को इस रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है

एफ.

जी.

8 (1993) पूरक 2 एस. सी. सी. 391 9 (1994) एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1052 ए

एच.

यही बात उक्त दो निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।"

10. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब राज्य बनाम गुरदास सिंह 10 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस तर्क पर विचार किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ऐसी सामग्री पर आधारित था जो अस्तित्व में नहीं थी क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और यदि ऐसी कोई टिप्पणी थी, तो उसे सूचित किया जाना चाहिए था।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

“11. .....किसी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय लेने से पहले अधिकारियों को सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना आवश्यक है।पदोन्नति अर्जित करने या दक्षता सीमा को पार करने या उच्च पद प्राप्त करने से पहले किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त नहीं किया जाता है और कर्मचारी के समग्र प्रदर्शन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या उसे सेवा में बनाए रखना सार्वजनिक हित में है।कर्मचारी की सेवा के पूरे रिकॉर्ड में कोई भी असंबद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियाँ भी शामिल होंगी।”

सी.

डी.

11. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राज किशोर गोयल 11 में, आदेश

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को तब दरकिनार कर दिया गया था जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश असंबद्ध ए. सी. आर. के कारण था।

ई.

12. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम बाबूलाल जहांगीर 12 के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि

समयपूर्व सेवानिवृत्ति से पहले 12 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकूल प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य 13 को केवल दूसरे प्रस्ताव पर खारिज कर दिया गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने की आवश्यकता है।इस न्यायालय ने "धोए गए सिद्धांत" पर भी विचार किया, यानी इस तरह के रिकॉर्ड के सुदूर अतीत के होने के कारण टिप्पणियों को मिटा दिया जाएगा।रिलायंस को इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर रखा गया था, जिसे प्यारे मोहन लाल बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

एफ.

जी.

झारखंड राज्य और अन्य 14 और यह देखा गया कि

10 (1998) 4 एससीसी 92 11 (2001) 10 एससीसी 183 12 (2013) 10 एससीसी 551 13 (1987) 2 एससीसी 188 14 (2010) 10 एससीसी 693

एच.

210

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

“22. उपरोक्त से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बद्रीनाथ [(2000) 8 एस. सी. सी. 395 में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा दिया गया स्पष्टीकरणः2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 13:(2000) 6 स्केल 618] सही नहीं है और गुरदास सिंह [(1998) 4 एस. सी. सी. 92 में इस न्यायालय की टिप्पणियांः1998 एससीसी (एल एंड एस) 1004:ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1661] इस प्रभाव के लिए कि पदोन्नति या दक्षता सीमा को पार करने या उच्च पद प्राप्त करने से पहले प्रतिकूल प्रविष्टियों को मिटा नहीं दिया जाता है और जब समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उस कर्मचारी के मामले पर विचार करने की बात आती है तो कर्मचारी के समग्र प्रदर्शन पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है।

बी.

23. कानून का सिद्धांत जिसे स्पष्ट किया गया है और प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य [(2010) 10 एस. सी. सी. 693 में निर्णय के बाद स्पष्ट किया गया हैः(2011) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 550] यह है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति के बाद उससे पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी और जब सरकारी कर्मचारी के मामले को आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है तो इसे मिटा दिया जा सकता है। हालाँकि, इस "बर्बाद सिद्धांत" का कोई उपयोग नहीं होगा जब किसी कर्मचारी के मामले का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त है या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की आवश्यकता है।दिया गया तर्क यह है कि चूंकि इस तरह का मूल्यांकन "संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड" पर आधारित है, इसलिए पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों या पुरानी अवधि के रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखने का कोई सवाल ही नहीं है।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि इस तरह के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जा सकता है, साथ ही साथ पिछली अवधि के सेवा रिकॉर्ड को उचित विश्वसनीयता और महत्व देना होगा। उदाहरण के लिए, कुछ बहुत पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों के विपरीत, जहां तत्काल पिछला रिकॉर्ड अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाता है, हाल के अतीत के ऐसे रिकॉर्ड की अनदेखी करना और केवल पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर कार्य करना, किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्त

करना मनमाने ढंग से सत्ता के प्रयोग का एक स्पष्ट उदाहरण होगा।हालांकि, अगर पुराना रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की ईमानदारी से संबंधित है तो यह सरकारी कर्मचारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकता है।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

13. न्यायिक अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेशों को इस आधार पर बरकरार रखने वाले कई अन्य निर्णय हैं कि न्यायिक सेवा अन्य सेवाओं के समान नहीं है।न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति अपने संप्रभु कार्यों के निर्वहन में राज्य की ओर से कार्य करता है।न्याय का वितरण न केवल एक भारी कर्तव्य है बल्कि इसे ए माना गया है

एच.

211

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम ओम प्रकाश [हेमंत गुप्ता, जे.]

इसलिए, एक पवित्र कर्तव्य के निर्वहन के रूप में, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।यह

राम मूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 15 मामले में न्यायालय

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:"6. ....नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बेहद संकीर्ण और सीमित है।केवल अगर यह मनमाने या मनमौजी आधारों पर आधारित पाया जाता है, जो दुर्भावना से दूषित होता है, प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करता है, तो हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश हो सकती है।न्यायालय, न्यायिक समीक्षा में, एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में उसी पर निर्णय में नहीं बैठ सकता है।अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।"

बी.

सी.

14. इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने बैकुंथ नाथ दास में इस न्यायालय के फैसले को न केवल गलत पढ़ा है, बल्कि उसमें निर्धारित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है।

प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा जा सकता है जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों की संख्या में उल्लेख किया गया है।उच्च न्यायालय के आदेश में एक तथ्यात्मक त्रुटि भी है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और वर्ष 1990 से 2009 तक के एसीआर या तो अच्छे थे या बहुत अच्छे थे।वास्तव में, स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा पुनः प्रस्तुत ए. सी. आर. का सारांश औसत, संतोषजनक और वास्तव में औसत से कम रिपोर्ट भी दिखाता है।

डी.

15. पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें पदोन्नति से पहले की अवधि के एसीआर शामिल होंगे।समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पारित किया जाना आवश्यक है, हालांकि हाल की रिपोर्टों का अपना वजन होगा।

ई.

16. उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को दरकिनार करने का आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।अपील की अनुमति है।इस प्रकार रिट याचिका खारिज हो जाती है।

एफ.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

15 (2020) 1 एस. सी. सी. 801

एच.